# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

---

प्रकरण सं. 10/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/11

1. ललिता शर्मा बेवा विशेषरनाथ कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख साकिन वार्ड नं. 10 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर

–प्रार्थी

**बनाम**

1. सत्यपाल वल्द मदनलाल कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख साकिन 3 एलसी ए तहसील श्रीविजयनगर
2. जगदीश चंद्र वल्द मदनलाल कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख साकिन 3 एलसी ए तहसील श्रीविजयनगर
3. आशा रानी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद कौम ब्राहमण साकिन जगतपुरा तहसील व जिला कठुआ जम्मू–कश्मीर
4. उज्जलवल शर्मा वल्द बालकृष्ण, कौम ब्राहमण साकिन छनरोडिया तहसील हीरानगर, जिला कठुआ जम्मू–कश्मीर
5. किरन रानी पत्नी बालकृष्ण, कौम ब्राहमण साकिन छनरोडिया तहसील हीरानगर, जिला कठुआ जम्मू–कश्मीर
6. रविन्द्र कुमार वल्द दीनानाथ कौम ब्राहमण साकिन छनरोडिया तहसील हीरानगर, जिला कठुआ जम्मू–कश्मीर
7. दूर्गा देवी पत्नी तीर्थ राम, कौम कश्मीरी ब्राहमण, साकिन ढाणी 4 एलसी बी तहसील श्रीविजयनगर
8. अरूण मेहता वल्द विजय कुमार, कौम ब्राहमण, साकिन वार्ड नं. 9 हनुमानगढ़ जंक्शन
9. ममता मेहता पत्नी मनोज कुमार शर्मा, कौम ब्राहमण, साकिन नजदीक शिव मंदिर, कश्मीरी मोहल्ला, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
10. विपिन मेहता वल्द विजय कुमार, कौम ब्राहमण, साकिन वार्ड नं. 9 हनुमानगढ़ जंक्शन
11. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता**

उपस्थिति :–

1. **श्री हरपाल सिंह सुधन, श्री नवीन मिडढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री साहिब बाघला, श्री ओम धायल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1–2**
3. **श्री ओम धायल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 से 10**
4. **राजपैरोकार**

**–:: निर्णय ::–**

Signature Not Verified

**दिनांक : 30.04.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य ... से हैं कि :–

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद ... कर निवेदन किया कि ग्राम 3 एल सी (ए) तहसील श्री विजय... मुरब्बा नंबर 2 (124/352) के किला नंबर 1 ता 4 की 0.18–0.18 बीघा, 5 की 0.16 व 6 की 0.18 ... 7 ता 14 सालम, 15 व 16 की 0.18–0.1... बीघा, 17 ता 24 सालम ... की 18 बीघा कुल 24 बीघा नहरी कृषि भूमि का सन् 1952 में नंदराम उर्फ अनन्त राम (खुद); लाजवन्ती (पत्नी) प्रजा देवी उर्फ पूजा देवी (पुत्री), मदनलाल (पुत्र) व विशेषरनाथ (पुत्र) को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सन् 1947 के विस्थापित

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

परिवार के तौर पर जम्मू–कश्मीर निष्कांत (संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1949 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑर्डर संख्या 1476 सी सन् 1950 के तहत भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा भूमि आरक्षित कर पारिवारिक इकाई के हिसाब से गुजर–बसर हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना 3 (375) राज 11/51 दिनांक 22–08–1951 के अनुसरण में तहसील रायसिंहनगर की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आवंटित विस्थापित भूमि के तबादला में आवंटन किया गया तथा नंदराम उर्फ अनंतराम को हैड ऑफ फैमिली (मुखिया होने के कारण कब्जा सुपुर्द किया जाकर काश्तकारी के खातेदारी अधिकार की सनद जारी की गई। इसके पश्चात् नंदराम उर्फ अनंतराम की 2 और पुत्रियां दुर्गा देवी व पुष्पा देवी पैदा हुई और इसके पश्चात् इन तीनों पुत्रियों का विवाह होने के कारण नंदराम उर्फ अनंतराम परिवार को छोड़कर अपने–अपने सुसराल चली गई। इसके बाद नंदराम उर्फ अनंतराम की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मृतक नंदराम उर्फ अनंतराम की भूमि का उत्तराधिकार नंदराम उर्फ अनंतराम के व्यक्तिगत कानून नियम 15 बी (2) जम्मू–कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 के तहत अवतरित किया जाकर दो उत्तराधिकारियों मदन लाल व विशेषरनाथ के बीच बहिस्सा बराबर 12–12 बीघा भूमि का बंटवारा किया गया। जिसमें किला नंबर 1 ता 5 एवं 5, 6, 15, 16 व 25 में 0.02–0.02 बीघा कुल 1 बीघा खाला सहित विशेषरनाथ के हिस्सा में किला नंबर 1 ता 12 सालम एवं 13 की 0.14 बीघा पश्चिमी पासा कुल 12.14 बीघा एवं मदनलाल के हिस्सा में किला नंबर 13 की 0.06 बीघा पूर्वी पासा एवं किला नंबर 14 ता 25 सालम कुल 12.06 बीघा भूमि हिस्सा में आई। तब से यह दोनों परिवार अलग–अलग भूमि काश्त कर रहे हैं। इसके उपरांत इसी व्यक्तिगत कानून के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवंटी नंदराम उर्फ अनंतराम का हित उनके पुत्रों मदन लाल व विशेषरनाथ में अवतरित होना था। लेकिन मृतक नंदराम उर्फ अनंतराम की पुत्रियों द्वारा ग्राम पंचायत बुगिया से एक वारिस प्रमाण–पत्र तैयार करवाया गया, जिसमें लिखवाया गया कि मृतक नंदराम उर्फ अनंतराम के कुल 2 पुत्र व 3 पुत्रियां वारिस हैं, और इस आधार पर तीनों पुत्रियों द्वारा संरपच ग्राम पंचायत् बुगिया से नंदराम उर्फ अनंतराम की भूमि का विरासतन इन्तकाल सख्या 171 दिनांक 06–10–2007 को 5 हिस्सों में करवा लिया गया। जबकि पुत्रियों द्वारा जिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह इंतकाल करवाया गया वह जम्मू–कश्मीर के व्यवियों पर लागू नहीं है क्योंकि मृतक नंदराम उर्फ अनंतराम जम्मू–कश्मीर के अधिवासी थे और पक्षकारों के अधिवास प्रमाण पत्र जम्मू–कश्मीर के बने हुए हैं। इसके अलावा जम्मू–कश्मीर उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू नही होता, क्योंकि वह सामन्य विधि है और विस्थापित उत्तराधिकार की विशेष विधि बनी हुई है। इस प्रकार व्यक्तिगत कानून के अनुसार 2 पुत्रों के नाम से ही इंतकाल होना चाहिए था और नंदराम उर्फ अनंतराम की 3/5 हिस्सा की भूमि पर नंदराम उर्फ अनंतराम की 3 पुत्रियों का कोई हिस्सा न होकर यह हक हकूक 2 पुत्रों का बहिस्सा बराबर था और अकेले संरपच को विरास्तन इंतकाल का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इसके बाद मदन लाल, विशेषरनाथ, पूजा देवी व पुष्पा देवी की मृत्यु होने के बाद मदन लाल की भूमि का विरास्तन इंतकाल मदन लाल के 2 पुत्रों व 3 पुत्रियों के पक्ष में बहिस्सा [illegible] जाकर 3 पुत्रियों द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी हक त्याग अपने भा[illegible] में बहिस्सा बराबर करवाकर जमाबंदी में अंकन [illegible] दिनांक 05–11–2024 को पूजा देवी का विरास्तन इंतकाल अप्रार्थी [illegible] के पक्ष में और पुष्पा देवी का विरास्तन इंतकाल अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 के पक्ष में होकर जमाबंदी में अमलदरामद हुआ। इस प्रकार गलत वि[illegible]तन इन्तकाल के बाद अप्रार्थी संख्या [illegible]ा 10 के द्वारा अपना हिस्सा के किला नंबर खुद ही खोलते हुये एक [illegible]स्तबरदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर पंजीकृत करवाकर नामांतरकरण संख्या 476 दिनांक 17–12–2024 किला वाईज खुलवा लिया

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया, जो कि प्रकियाधीन है। इस तथाकथित बंटवारा में प्रार्थिया को किला नंबर 02 ही साबुत दिया गया है, तथा शेष 4 बीघा जमीन हर किले में टुकडेवाईज दी गई है। जबकि बंटवारा के लिये सभी पक्षों की सहमति होना जरूरी है। किला नंबर 1 ता 13 की 12.14 बीघा संपूर्ण रकबा पर प्रारंभसे ही प्रार्थिया के पति विशेषरनाथ काबिज रहे हैं और उनकी मत्यु दिनांक 14–4–2008 से उनके हित की एक मात्र हित उत्तराधिकारी के रूप मे वादिया काबिज है। प्रार्थिया 72 साल की वृद्ध औरतजात है। दिनांक 13–01–2025 को प्रार्थिया ने यह जमीन 13–04–2025 से 12–04–2026 तक ठेका पर देने के लिये गांव 3 एल सी (ए) गई और उसके अगले दिन 14–01–2025 को अप्रार्थीगण प्रार्थिया के गृह जैतसर में आये और प्रार्थिया को धमकी दी कि यह जमीन हमने गलत इंतकालों से अपने नाम करवा ली है। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया गया कि वे नंद राम उर्फ अनन्तराम के व्यक्तिगत कानून के अनुसार रिकार्ड को दुरूस्त करवाने में सहयोग करें तो वे स्पष्ट रूप से इंकार हो गए और धमकी दी कि वे भूमि नाजायज तौर पर अन्य हाथों में मुन्तकिल करेंगे और आपकी जमीन पर खड़ी फसल पर कब्जा करेंगे और पकने पर फसल काट लेंगे। प्रार्थिया को दिनांक 14–01–2025 से पूर्व विशेषरनाथ के पक्ष में हुये 1/5 हिस्सा के इंतकाल का ज्ञान नहीं था। प्रार्थिया बंटवारा करवा किला नंबर 1 ता 13 की 12.14 बीघा भूमि पर अपने काश्तकारी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाने एवं इस आशय का स्थाई व्यादेश प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है कि अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखते हुए वादिया के कब्जा–काश्त में बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहें, यदि ऐसा नही किया जाता है तो प्रार्थिया के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थिया ता फैसला वाद इस आशय का अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है कि अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखते हुए प्रार्थिया के कब्जा–काश्त में बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहें। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार एवं उचित न्याय शुल्क 2 रूपये की कोर्ट फीस पर अंदर मियादं पेश है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला वाद इस आशय का अस्थाई व्यादेश जारी किया जाए कि अप्रार्थीगण वाके ग्राम 3 एल सी (ए) तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नंबर 2 (124/352) के किला नंबर 1 ता 12 सालम एवं 13 की 0.14 बीघा पश्चिमी पासा कुल 12.14 बीघा के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखते हुए प्रार्थिया के कब्जा–काश्त में बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहें हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 10 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि कृषि भूमि आवंटित होना, तत्पश्चात खातेदारी जानी होना रिकार्ड का तथ्य है लेकिन उक्त कृषि भूमि नंदराम उर्फ अन्नतराम के नाम से आंवटित हुई थी। आवंटन के पश्चात नंदराम के दो और पुत्रींया पैदा होना तथा शादी के बाद तीनो पुत्रीयो का अपने–2 ससुराल मे निवास करना स्वीकार है। लेकिन पुत्रीयों की शादीयां कब की, इसके संबंध मे कोई स्पष्टीकरण दर्ज नही है। नंदराम [illegible] के देहांत के बाद उक्त कृषि भूमि का किसी प्रकार का बं[illegible] न[illegible] हुआ तथा ना ही किसी की सहमति से किला वि[illegible] हुआ। उक्त [illegible] संबंधित समस्त तथ्य प्रार्थीया ने मिथ्या, का[illegible] व [illegible] किए गए है। उक्त बंटवारा कब हुआ इसके संबंध में प्रार्थीया ने कोई स[illegible]करण दर्ज नही किया है। पुत्रीयो की शादी से पूर्व उक्त बंटवारा के संबंध [illegible] किसी प्रकार की सहमति नहीं ली गई है। इसलिए उक्त बंटवारा होना, बंटवारा अनुसार मदनलाल व विशेषरनाथ का काबिज होना मिथ्या, काल्पनिक है। नंदराम उर्फ अन्नतराम के देहांत के बाद वर्ष 2007 मे आवंटी नंदराम उर्फ अन्नतराम के नाम की कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विरास्तन इंतकाल दर्ज हो गया था। उस समय प्रार्थीया का पति विशेषरनाथ जीवित था। उस समय विरास्तन इंतकाल के खिलाफ ना तो विशेषरनाथ द्वारा कोई एतराज किया गया था व ना ही उसकी पत्नी द्वारा कोई एतराज किया गया था। इसके करीबन 17 वर्षो बाद जब नंदराम उर्फ अन्नतराम की पुत्रीयों पूजा, पुष्पा के देहांत के बाद उसके वारिसों व दुर्गादेवी ने अपने 2 हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबरदारी अप्रार्थीगण सं–1 या 2 के पक्ष में कर दी तो प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र माननीय अदालत में पेश कर दिया है। इंतकाल वर्ष 2007 का है तथा अब करीब 17 वर्षो बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो स्पष्टया मियाद बाहर है। दस्तबरदारी एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही प्रशनागत किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया ने बेईमानी पूर्वक आश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्ती योग्य है। मदनलाल के देहांत के बाद उसकी पुत्रीयों व पुत्र के नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज होना स्वंय प्रार्थीया स्वीकार कर रही है उसी अनुरूप आवंटी के देहांत के बाद उसके वारिसान के नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ है जो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन नंदराम उर्फ अन्नतराम की पुत्रीयों पूजा, पुष्पा के देहांत के बाद उसके वारिसो व दुर्गादेवी ने अपने–2 हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबरदारी अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पक्ष में कर दी तो इस बात से नाराज होकर रंजिशवश प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र माननीय अदालत में पेश कर दिया है। विरास्तन इंतकाल कतई गलत तरीके से दर्ज नही हुआ है। दस्तबरदारी मे कतई किले नहीं खोले गए है बल्कि अपने 2 हिस्सानुसार रकबा की ही दस्तबरदारी की गई है तथा राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारो के नाम से हिस्सानुसार रकबा दर्ज है, किलावाईज खाता विभाजन नही हुआ है। इससे भी साबित है कि प्रार्थीया माननीय अदालत में क्लीनहैण्ड से नही आई है बल्कि मिथ्या, काल्पनिक व बेवुनियाद तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। किला नं–1 ता 13 की 12–14 बीघा रकबा पर आरंभ से प्रार्थीया को पति का कब्जा रहा हो, इस संबंध मे प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार का दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। केवल मात्र मौखिक तथ्य दर्ज किए है। प्रार्थीया व उसके पति को उक्त विरास्तन इंतकाल की जानकारी शुरू दिन से ही है। प्रार्थीया अपने पति के साथ ही निवास करती रही है। उक्त कृषि भूमि के इंतकाल के संबंध में प्रार्थीया को जानकारी ना हो यह कतई संभव नहीं है। प्रार्थीया अब माननीय अदालत के समक्ष जानबुझ कर अंजान बन कर उक्त भूमि हिस्सा ठेका पर देने के तथ्य दर्ज कर बेइमानी पूर्वक आश्य से अपने उक्त प्रकरण को अंदर मियाद दर्शित करना चाहती है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है तथा अप्रार्थी द्वारा फसल बिजांद कर रखी है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की धमकी नहीं दी है। इंतकाल दर्ज होने की एक साधारण प्रक्रिया है। उक्त कृषि भूमि राजस्थान राज्य में स्थित है तथा राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है जिसके तहत ही नामातंरण की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। इसलिए प्रार्थीया नंदराम उर्फ अन्नतराम के वारिसान के नाम से दर्ज हुऐ विरास्तन इंतकाल को किसी भी प्रकार से प्रशनागत करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया अनवानी प्रकरण पेश करने की कतई अधिकारीनी नहीं है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया [illegible] नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त प्रकरण मे समस्त तथ्य मौखिक रूप [illegible] दर्ज किए है कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है [illegible], सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे [illegible] इस आधार पर प्रार्थीया माननीय अदालत से हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। प्रार्थीया माननीय अदालत में क्लीनहैण्ड से नहीं आई है। प्रार्थीया शुरू से ही अपने पति के साथ निवास करती थी। आवंटी के देहांत के बाद वर्ष 2007 में विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ। उस समय प्रार्थीया का पति जिवित था यानि

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

प्रार्थीया के पति व प्रार्थीया को विरास्तन इंतकाल की पूर्णतया जानकारी थी। लेकिन अब नंदराम उर्फ अन्नतराम की पुत्रीयों पूजा, पुष्पा के देहांत के बाद उसके वारिसो व दुर्गादेवी ने अपने–2 हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबरदारी अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पक्ष में कर दी तो इस बात से प्रार्थीया ने नाराज हो गई तथा प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र माननीय अदालत में पेश कर दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया कतई सद्भाविक नहीं है। बल्कि कुचेष्टा पूर्वक आश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि नंदराम उर्फ अनंतराम को आवंटित हुई थी जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सन् 1947 के विस्थापित परिवार के तौर पर जम्मू–कश्मीर निष्कांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1949 के तहत आंवटित की गयी थी। नन्दराम के तीन पुत्रियां और दो पुत्र थे जिनमें पुत्रियों की शादी उपरान्त ससुराल चली गयी। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मृतक नंदराम उर्फ अनंतराम की भूमि का उत्तराधिकार नंदराम उर्फ अनंतराम के व्यक्तिगत कानून नियम 15 बी (2) जम्मू–कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 के तहत अवतरित किया जाकर दो उत्तराधिकारियों मदन लाल व विशेषरनाथ के बीच बहिस्सा बराबर 12–12 बीघा भूमि का बंटवारा किया गया। लेकिन पुत्रियों ने वर्ष 2007 में पांचों वारिसों के नाम से सरपंच ग्राम पंचायत से वारिस नामा तैयार करवा उसके आधार पर नामान्तरण दर्ज करवा लिया। तथा पुत्रियों एवं उनके वारिसों द्वारा अपना हिस्सा जरिए दस्तबरदारी मृतक मदनलाल के पुत्रों अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया, जिस बाबत नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। जिसके वे अधिकारी नहीं है। भूमि के संबंध में उत्तराधिकार व्यक्गित कानून के तहत अवधारित होने चाहिए थे। बंटवारानामा अनुसार कि.नं. 1 से 12 व 13 पश्चिमी पासा पर प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने से यदि भूमि अन्य अन्तरण हो जाती है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं हो सकेगा। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ता फैंसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्थान राज्य में स्थित है इसलिए भूमि पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कानून लागू नहीं होते। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा ही काश्त की जाती है। प्रार्थीया द्वारा भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को ठेके पर देकर अपने रिकार्डेड हिस्से की भूमि काश्त करवाई जाती थी। भूमि नंदराम की मृत्यु उपरान्त उसके समस्त वारिसों पुत्र और पुत्रियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरास्तन प्राप्त हुई है जिसके संबंध में इन्तकाल वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था जिसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्रार्थीया को प्रारम्भ से है तथा उस समय प्रार्थीया के पति भी जीवित थे जिनके द्वारा इस संबंध में कोई विरोध उस समय दर्ज नहीं करवाया गया। अब 18 वर्ष पश्चात प्रार्थीया की ओर से चुनौति दी जा रही है जो मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी [illegible] के रिकार्डेड टिनेन्ट है, जिनके विरूद्ध प्रार्थीया निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 का [illegible] काश्त की हुई है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि विवादित भूमि में प्रार्थीया के पति एवं अप्रार्थी सं. 1–2 के पिता की बहिस्सा बराबर बराबर हिस्सा है, जो कि जम्मू–कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम 1954 के तहत प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है जो कि हिन्दू उत्तराधिकार विधि के द्वारा दर्ज की गई है जबकि भूमि व्यक्तिगत कानून के तहत प्राप्त होनी थी। उक्त तथ्य के आधार पर ही प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के विपरीत कथन किया गया है कि राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन सही है। प्रार्थीया द्वारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित भूमि में पक्षकारों का कितना हक हिस्सा निहित है, है भी अथवा नहीं का निर्णय मूल वाद में गुणावगुण पर वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्णय हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपरिमेय क्षति के बिन्दूओं को अधिनिर्णित किया जाना है।

6. प्रार्थीया के द्वारा चक 3 एलसी ए के मु.नं. 2 के कि.नं. 1 से 12 एवं 13 की 0.14 बीघा पश्चिमी पासा कुल 12.14 बीघा के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैंसला मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 3 एलसीए खाता सं. 51 का अवलोकन किया। जिस अनुसार भूमि प्रार्थीया के पति विशेषरनाथ के साथ साथ अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें प्रार्थीया के पति विशेषरनाथ के नाम से 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। शेष भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थीगण संयुक्त खाता की विवादित भूमि के खातदेार टिनेंट है तथा प्रार्थीया द्वारा रिकार्ड में प्रार्थीया के पति के नाम से दर्ज हिस्सा से अधिक भूमि पर भूमि संयुक्त खाता में होते हुए विशेष किलेजात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु उक्त किलेजात पर प्रार्थीया द्वारा अपना कब्जा काश्त होने अथवा किसी दस्तावेज द्वारा उन पर अधिकार होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

7. प्रार्थीया की ओर से शपथ पत्र अशोक कुमार शर्मा एवं सतपाल के पेश किये गये है जिनमें भूमि फसल हाडी वर्ष 2000, फसल सावनी 2001 हाडी 2000 के लिए ठेके पर दिए जाने बाबत है। वर्तमान में भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीया का हो इस बाबत प्रार्थीया की ओर से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से स्टाम्प पत्र पर लेखराम, चरणजीत सिंह, सुखचैन सिंह, सुनील कुमार, सूरज प्रकाश, हरप्रीत सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसमें उक्त शपथग्रहिताओं के द्वारा अंकित किया गया है कि उनकी भूमि विवादित भूमि के आस पास है तथा भूमि प.नं. 124/352 मु.नं. 2 की 6.325है. पर सत्यपाल शर्मा व जगदीश शर्मा के द्वारा काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण की ओर से सरपंच ग्रा.पं. 1 एमएसडी(मघेवाली ढ़ाणी) के प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2025 की असल प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है कि भूमि [illegible] जगदीश पुत्र मदनलाल कर रहा है। अतः सारतः प्रार्थीया यह सि[illegible] करने में असफल रही है कि है सुविधा का सन्तुलन किस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष में [illegible]

8. विवादित भूमि प्रार्थीया के पति विशेषर[illegible] साथ अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें निहित हक हिस्सा को लेकर उभयपक्ष में विवाद है। प्रार्थीया द्वारा भूमि की उत्त[illegible]कारिता का व्यक्तिगत कानून को लेकर किये जाने का दावा है जिसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज की गयी भूमि की कार्यवाही को सही ठहराते हुए प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया जा रहा है। भूमि पर हक एवं हिस्सा का निर्णय मूल वाद में गुणावगुण

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर वाद बिन्दू कायम कर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना है। यदि इस दौरान भूमि अन्य रहन, बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित हो जाती है तो तृतीय पक्ष के सृजन होने के कारण प्रकरण में वाद विवाद बढ़ेगा व उलझाव पैदा होगा तथा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिससे उभयपक्ष को अपूर्णीय क्षति संभावित है।

9. हालांकि प्रकरण में प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है लेकिन मूल वाद के न्यायपूर्णय निर्णय हेतु न्यायालय यह उचित समझता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को संयुक्त खाता की विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे। निष्कर्षतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए केवल मात्र राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के अनुतोष की हद तक आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

**–: आदेश :–**

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.01.2025 को निरस्त करते हुए उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक संयुक्त खाता की विवादित भूमि तहसील श्रीविजयनगर के चक 3 एलसी ए खाता सं. 51 में दर्ज प.नं. 124/352 मु.नं. 2 की कुल 6.325है. नहरी मय खाला भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा भूमि को रहन, बैय एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner